


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 263/2014.....जिला.....कोटा.....

उनवान-मै0 पोरवाल ट्रेडिंग कं0, रामगंजमण्डी जिला कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-द्वितीय,कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की तारी में जारी हुए
24.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ <u>श्री मनोहर पुरी-सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम.एल.पाटोदी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी पार्टनर श्री राजेश संघवी की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2016 को जारी किया गया, जो दिनांक 16.02.2016 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.01.2016 के तहत एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं न्याय हित में अपीलार्थी को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार स्कीम का लाभ लेने हेतु अपील को विद्वान करने की आज्ञा प्रदान करे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील, पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 263/2014/कोटा जरिये विद्वान (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	


 24.02.2016
 (मनोहर पुरी)
 सदस्य